न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :–श्री राम लाल मीणा आर.ए.एस..

राजस्व आवेदन संख्या –202/2025

उनवान

प्रार्थीगण

1.श्री आतमराम पुत्र कोजा
2.श्री तगाराम पुत्र कोजा
3.श्रीमती धीया पत्नी कोजा जाति जाट निवासी सोबदार की बस्ती तहसील रामसर जिला बाडमेर।

विप्रार्थीगण

1.श्री भंवरा राम पुत्र सैदान
2.श्रीमती मारीयत पुत्र पालाराम
3.श्री जाकब पुत्र उकरडा राम
4.श्री मूलाराम पुत्र आदूराम जाति मेघवाल निवासी सोबदार की बस्ती तहसील रामसर जिला बाडमेर
5.तहसीलदार रामसर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते नेखमबंदी

दिनांक :–**25.03.2026**

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक **25.06.2025** को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा **सोबदार की बस्ती** पटवार मण्डल **भीण्डे का पार** भूअनि भीण्डे का पार के खसरा संख्या 247/42 रकबा 7.1225 हेक्टयर,किस्म भूमि बा.सो. उनके खाते की कृषि भूमि अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विप्रार्थीगण पड़ोसी खातेदार है। प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य आराजियात के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिससे कि प्रार्थी अपने खेत की पक्की नेखमबंदी कराना चाहते है। आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी का आदेश प्रदान किया जावे। प्रकरण के अवलोकन में यह तथ्य प्रमाणित है कि विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खेत की कृषि भूमि की नेखमबंदी करवाने को हकदार है। विप्राथीगण को नोटिस रजिस्टर्डडाक से जारी होने के बावजूद बाद तामिल विप्रार्थी संख्या 1 से 05 अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। बहस सुनी गई।पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायाहित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध विप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर मौजा **सोबदार की बस्ती** पटवार मण्डल **भीण्डे का पार** भूअनि भीण्डे का पार के खसरा संख्या 247/42 रकबा 7.1225 हेक्टयर,किस्म भूमि बा.सो .भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार रामसर को 1000/– अक्षरे रूपये एक हजार रूपये मात्र पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार रामसर को निर्देश दिये जाते है कि वे उपरोक्त आराजियात में किसी न्यायालय का स्थगन एवं मौके पर फसल खड़ी होने की स्थिति में नेखमबंदी की कार्यवाही नहीं की जावे। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों/अधिसूचनाओं में दिये गये दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए, मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर नेखमबंदी की कार्यवाही की जावे तथा उक्त प्रकरण में दर्ज सभी प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण को लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में उक्त खसरें के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करवाये जावें। कमिश्नर शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। आवश्यकतानुसार तहसीलदार रामसर को संबंधित पुलिस थाने से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी की समयबद्ध पालना की जाकर पालना रिपोर्ट से अवगत करावें।
यह आदेश आज दिनांक **25.03.2026**को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी रामसर जिला-बाड़मेर

25/3/2026

(राम लाल मीणा)
उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी, रामसर

क्रमांक : रीडर/2026/215-18

दिनांक : 25/3/2026

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार रामसर को भेजकर लेख है कि प्रकरण में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही कर 15 दिवस में पालना से न्यायालय को अवगत करावें।
2. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/रामसर।
3. प्राथीगण आतमराम पुत्र कोजा वगैराह
4. विप्रार्थीगण श्री भंवरा राम पुत्र सैदान वगैराह

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.04.04 15:58:21 IST
Reason: SelfAttested

25/3/26
उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी, रामसर

Scanned with OKEN Scanner